कार्यालय अंचल अधिकारी मुरहू (खूँटी)

आदेश फलक

वाद सं० 430 / ....

केस का प्रकार– अवैध जमाबंदी नियमित करने के संबंध में

आदेश का क्रमांक तारीख सहित	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई की तिथि सहित
24/6/2020	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांकः– 2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 के निदेशानुसार वैसे व्यक्ति जो बिना कागजात / साक्ष्य / ठोस प्रमाण के गैरमजरूआ भूमि पर अवैध रूप से दखल कब्जा किया हुआ है, वैसे भूमि को अवैध मानते हुए रद्द करने की निदेश के आलोक में सबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 2/7/2020 को रखें। 24/06/20 अंचल अधिकारी, मुरहू।	
2/7/2020	अभिलेख उपस्थापित संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से निम्नलिखित गैरमजरूआ भूमि का प्रतिवेदन प्राप्त है:–	

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
1	2	3	4	5	6
पेरका	255	44	394	0·46	G.M बाद नाला

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री / श्रीमति पेतरस मुण्डा पिता / पति जोसेफ मुण्डा ग्राम पेरका पंचायत हांसा थाना मुरहू जिला खूँटी के द्वारा दखल किये गये भूमि का स्थल जाँच किया गया, जाँच के क्रम में एवं पंजी II के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त गैरमजरूआ भूमि पर प्रतिवादी का विगत 40 वर्षो से दखल कब्जा है। इनके द्वारा कृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है। निदेशानुसार वैसे व्यक्ति जो बिना ठोस प्रमाण / साक्ष्य / कागजात के गैरमजरूआ भूमि पर अवैध रूप से दखल कब्जा किया हुआ है, को अवैध मानते हुए रद्द किया जाना है। इस संबंध में प्रतिवादी से टोस साक्ष्य की मांग की गयी प्रतिवादी द्वारा दखल–कब्जा किये गये भूमि का ठोस प्रमाण / दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर किया गया दखल कब्जा को अवैध मानते हुए रद्द करने हेतु अनुशंसा किया गया था, परन्तु दिनांक 18.09.16 को आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के द्वारा दिये गये निदेशानुसार राज्य में किसी भी व्यक्ति को भूमिहीन नहीं रहना है। उक्त निदेश के आलोक में संबंधित रा०कर्म० एवं अंचल निरीक्षक से पुनः प्रतिवेदन की मांग करे।आम सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 31/7/2020 को रखे।

02/07/20

अंचल अधिकारी,
मुरहू।

31/7/2020 — अभिलेख उपस्थापित। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन एवं आवेदक का आवेदन पत्र प्राप्त है। किसी व्यक्ति के द्वारा आपति दायर नहीं की गई है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भूमि मौजा पेरका खाता नं० 44 प्लॉट संख्या 394 रकबा 0·46 एकड़ भूमि पंजी ii में वर्ष 1980 से जमाबंदी कायम है। पंजी ii में बंदोबस्ती वाद संख्या 18/92-93 दर्ज है एवं वर्ष 18-19 तक लगान वसुली की गई है। आवेदित भूमि पर गैरमजरूआ आम रास्ता, वन भूमि, नदी नाला एवं जंगल झाड़ी आदि नहीं है। मुख्य राजमार्ग, राजपथ एवं शासकीय भवन से 150 मीटर के दायरे में नहीं ळें आवेदक विगत 40 वर्षो से उक्त भूमि पर दखलकार है आवेदक द्वारा कृषि कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है। आवेदक के पास कुल धारित रकबा के अलाते कृषि कार्य हेतु भूमि नहीं है। आवेदक मुण्डा जाति के है जो अ०ज०जा० के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्ति एवं सरकारी नौकरी नहीं करते है।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा 4h से मुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है। निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक : 1704 / रा0 दिनांक 15.07.2020

के निदेशानुसार दिनांक 01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र / पट्टा / हुकुमनामा) के आधार पर पंजी में संधारित गैर मजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमिहीन एवं सुयोग्य व्यक्तियों को की गई भूमि बन्दोबस्ती, बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4,5 एवं 6 के अंतर्गत बेलगान भूमि का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित लगान गृह स्थल बन्दोबस्ती की गई है, उन सभी मामलों में बन्दोबस्ती पंजी पट्टा एवं अन्य संबधित अभिलेखों से सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन उपरांत पंजी II रैयत के पेतरुस मुण्डा .... पिता जोसेफ मुण्डा .... ग्राम पेरका .... के नाम से मौजा .... खाता 44 प्लॉट 394 रकबा 0.46 एकड़ भूमि सरकारी .... बन्दोबस्ती वाद संख्या 18/1992-93 के अनुसार बन्दोबस्त रहने के कारण तत्काल [illegible] से मुक्त किया जाता है।

तत्पश्चात अभिलेख की काईवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
मुरहू।

अंचल अधिकारी,
मुरहु।